

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्रमांक एफ 5-30/2017/1-55 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 तथा मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 के नियम क्रमांक क्रमशः 2 (द) (हिन्दी में) एवं 2 (r) (अंग्रेजी में) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

#### हिन्दी नियमों में संशोधन 2 (द)

1- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की वेबसाईट [www.health.mp.gov.in](http://www.health.mp.gov.in) पर "Health Institutions" की लिंक में "List of identified difficult area Health institutions" पर प्रदर्शित सूची में से ऐसी राज्य तथा केन्द्र सरकार की लोक स्वास्थ्य संस्थायें जो difficult/most difficult/inaccessible चिन्हांकित है और (i) नगर पालिक निगम या उसकी भौगोलिक क्षेत्र की परिधि (सीमा) से जुड़े/लगे हुये किसी विकास खण्ड में स्थित नहीं है या (ii) नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में या उसके भौगोलिक क्षेत्र की परिधि (सीमा) से जुड़े/लगे हुए किसी ग्राम में स्थित नहीं है ।

**English नियमों में संशोधन 2 (r)**

State or Central Government public health institutions published on the website of Government of Madhya Pradesh, Directorate of Health Services [www.health.mp.gov.in](http://www.health.mp.gov.in) under the link "Health Institutions" in sub heading "List of identified difficult area Health institutions" which are not situated in

- (i) Any Municipal Corporation or any development block whose geographical boundary touches the boundary of municipal corporation.
- (ii) Any Municipality or Nagar Panchayat or any village whose geographical boundary touches the boundary of Municipality/Nagar Panchayat.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्रमांक...एफ-5/30/2017/1/55 /राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा और  
दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

संशोधन (हिन्दी नियमों में) -

नियम क्रमांक-6 "पात्रता"के उप नियम (12) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन के लिये  
पात्रता -

(1) निम्नलिखित अभ्यर्थी लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के लिये पात्र होंगे :-

- (क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।
- (ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग के चरण में "आप्ट फॉर वेंटिंग" (Opt for waiting) का आग्रह दिया है ।
- (ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाइस फिलिंग (choice filling) नहीं की है ।
- घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं तथा उनके द्वारा "willingness to upgrade" का विकल्प चयनित किया गया है ।

(2) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे :-

- (क) जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित की गई थी किन्तु आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।
- (ख) जिन्होंने आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है ।
- (ग) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं तथा उनके द्वारा "willingness to upgrade" का विकल्प चयनित नहीं किया गया है ।

संशोधन (अंग्रेजी नियमों में) -

(i) Following candidates shall be eligible for the allotment of left out seats :-

- (a) Such registered candidates who have not been allocated any seats in the earlier rounds of counselling.
- (b) Such registered candidates who have given 'Opt for waiting' option in the earlier rounds of counselling.
- (c) Such registered candidates who did not do choice filling in earlier rounds.
- (d) Such candidates who are admitted on an allotted seat and have selected the option of "willingness to upgrade" during previous rounds of counselling.

(ii) The following candidates shall not be eligible for allotment of left out seats :-

- (a) Who were allotted seat in the previous rounds of counselling, but did not take admission on the allotted seats.
- (b) Who have resigned from their allotted & admitted seat.
- (c) Who are admitted on an allotted seat and have not selected the option of "willingness to upgrade" during previous rounds of counselling.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.